भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2448

10.12.2024 को उत्तर के लिए नियत

एफएएमई स्कीम का तृतीय चरण

2448. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री वी. के. श्रीकंदन:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की आवश्यकता और मांग को पूरा करने के लिए फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एफएएमई) स्कीम के तीसरे चरण को शुरू करने की स्कीम बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार प्राप्त जानकारी पर कार्य कर रही है और फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम के प्रथम दो चरणों में मुद्दों का समाधान करने के प्रयास किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एफएएमई स्कीम के अतंर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केरल की सरकारों को सार्वजनिक परिवहन वाहन उपलब्ध कराए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एफएएमई स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए गए वाहनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(**श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा**)

(क): जी नहीं। किन्तु, भारी उद्योग मंत्रालय ने 29 सितंबर, 2024 को 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम को अधिसूचित किया है। यह दो वर्ष की स्कीम है जिसका उद्देश्य ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक, ई-बस, ई-एम्बुलेंस, इलेक्ट्रिक वाहन पब्लिक चार्जिंग स्टेशन और परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन सहित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सहायता प्रदान करना है।

(ख): जी हां। सरकार ने प्राप्त इनपुट पर काम किया है और फेम स्कीम के पहले दो चरणों में मुद्दों के समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। 29 सितंबर, 2024 को अधिसूचित पीएम ई-ड्राइव स्कीम में मुद्दों का समाधान किया गया है। ये इस प्रकार हैं :

i. चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी)- जिसमें समय के साथ इलेक्ट्रिक वाहन घटकों का स्थानीकरण निर्धारित किया गया है, को मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जारी रखा जा रहा है।
ii. मूल उपकरण विनिर्माताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रावधान किए गए हैं।
iii. वित्तीय मामलों में किसी भी कदाचार को रोकने के लिए आवेदक मूल उपकरण विनिर्माताओं से एक सत्यनिष्ठा की वचनबद्धता ली जा रही है।
iv. पीएमपी के अनुपालन की जांच करने के लिए परीक्षण एजेंसियों द्वारा वार्षिक स्ट्रिप डाउन टेस्ट/आवधिक निगरानी आकलन (पीएसए) किया जाएगा।

(ग) और (घ): फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण के तहत पिछले पांच वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए 1,321 इलेक्ट्रिक बसें आबंटित की गई हैं। फेम-II स्कीम के अंतर्गत केरल राज्य के लिए कोई इलेक्ट्रिक बस आबंटित नहीं की गई है।

******